न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री संजय कुमार माथुर
2. प्रकरण संख्या : 73/2018
3. उनवान : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

दौलतराम पुत्र मुंशीराम जाति जाट निवासी फुलेरा जिला जयपुर।

–अप्रार्थी

4. निर्णय दिनांक : 22-12-2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि श्री दौलतराम पुत्र मुंशीराम जाति जाट निवासी फुलेरा को ग्राम पालवास के ख.नं. 145 रकबा 7 बीघा का आवंटन दिनांक 17.12.1969 को हुआ था। आवंटी जीवित है। ग्राम फुलेरा में निवास करता है। उक्त आवंटन का गैर खातेदारी नामान्तरण आज तक दर्ज नहीं हुआ है। उक्त ख.नं. में आवंटी श्री दौलतराम पुत्र मुंशीराम जाति जाट निवासी फुलेरा का गैरखातेदारी का नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है। उक्त ख.नं. 145 में 5.10 भूमि सिवायचक शेष है जो कि मौके पर काबिज काश्त नहीं है तथा मौके पर नाले व गड्डे है। आवंटी श्री दौलतराम पुत्र मुंशीराम जाति जाट निवासी फुलेरा का उक्त ख.नं. 145 वाके ग्राम पालवास में मौके पर कब्जा भी नहीं है। आवंटन पत्रावली तलाश की गई। उपलब्ध नहीं होने के कारण आवंटन रजिस्टर की फोटो प्रति संलग्न की गई है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने पर उनके विरूद्ध नियम 14(4) की कार्यवाही उचित है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि आवंटी श्री दौलतराम पुत्र मुंशीराम जाति जाट निवासी फुलेरा के ख.नं. 145 रकबा 7 बीघा ग्राम पालवास के आवंटन को निरस्त किये जाने बाबत नियम 14(4) की कार्यवाही हेतु पत्रावली पेश की गयी है।

पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल, आवंटन रजिस्टर की नकल, फर्द मौका रिपोर्ट एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात पेश किये गये हैं।

प्रार्थना पत्र 14(4) प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को रजि0 तलबी नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी के नोटिस अदम तामील प्राप्त होने पर प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा द्वारा समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशन करवाया गया। बावजूद सूचना अनुपस्थित। अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। पैरोकार सरकार की बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि श्री दौलतराम पुत्र मुंशीराम जाति जाट

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

निवासी फुलेरा को ग्राम पालवास के ख.नं. 145 रकबा 7 बीघा का आवंटन दिनांक 17.12.1969 को हुआ था। आवंटी जीवित है। ग्राम फुलेरा में निवास करता है। उक्त आवंटन का गैर खातेदारी नामान्तरण आज तक दर्ज नहीं हुआ है। उक्त ख.नं. में आवंटी श्री दौलतराम पुत्र मुंशीराम जाति जाट निवासी फुलेरा का गैरखातेदारी का नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है। उक्त ख.नं. 145 में 5.10 भूमि सिवायचक शेष है जो कि मौके पर काबिज काश्त नहीं है तथा मौके पर नाले व गड्डे है। आवंटी श्री दौलतराम पुत्र मुंशीराम जाति जाट निवासी फुलेरा का उक्त ख.नं. 145 वाके ग्राम पालवास में मौके पर कब्जा भी नहीं है। आवंटन पत्रावली तलाश की गई। उपलब्ध नहीं होने के कारण आवंटन रजिस्टर की फोटो प्रति संलग्न की गई है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने पर उनके विरूद्ध नियम 14(4) की कार्यवाही उचित है। अतः आवंटी श्री दौलतराम पुत्र मुंशीराम जाति जाट निवासी फुलेरा के ख.नं. 145 रकबा 7 बीघा ग्राम पालवास के आवंटन को निरस्त किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अध्ययन किया गया एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में ग्राम पालवास के खसरा नंबर 145 रकबा 7 बीघा का आवंटन दिनांक 17.12.1969 को अप्रार्थी श्री दौलतराम पुत्र मुशीराम निवासी को फुलेरा को किया गया था। प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2066–68 एवं मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी का विवादित आराजीयात खसरा नंबर 145 पर कब्जा नहीं है तथा आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की जा रही है जो आवंटन नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करते हुए नियम 14(4) के तहत कार्यवाही करना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 14(4) स्वीकार किया जाता है। ग्राम पालवास तहसील फुलेरा के आराजी खसरा नंबर 145 रकबा 7 बीघा के संबंध में अप्रार्थी का आवंटन निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार फुलेरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आराजी भूमि नियमानुसार राज्य सरकार के पक्ष राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज/अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 22-12-2025 को सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार माथुर)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

अति. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate (III) JAIPUR